1

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी— श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 12 / 2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 खेताराम दत्तक पुत्र केसाराम जाति सिरवी निवासी धीनावास तहसील सोजत जिला पाली		1 मुकेश पुत्र बाबूलाल मेवाडा जाति कलाल निवासी रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली राज0 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राज0

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री नरेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 14/3/24

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा धीनावास के तहसील सोजत में खसरा नम्बर 1694 रकबा 1.2851 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। वादी मौके पर व राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि भूमि को अलग करवाना चाहता हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने हेतु मना करने से वादी द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया है। ताकि वादीगण शांतिपूर्वक अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग, उपभोग आराम से कर सके तथा प्रतिवादीगण भविष्य में भी वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे चूंकि सामलाती कृषि भूमि मे सभी खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है इस पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार अपना अपना हिस्सा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवाड़ा करवाने का कानूनी अधिकार रखते है। इस प्रकार वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर सरहद मौजा धीनावास के खसरा नम्बर 1694 रकबा 1.2851 हैक्टर कृषि भूमि किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तामील ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र सेन ने वकालतनामा पेश किया सा0मि0 किया गया। दिनांक 07.02.2022 को उभय पक्ष की उपस्थिति सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी कर सरहद मौजा धीनावास, तह0 सोजत के खसरा नम्बर 1694 रकबा 1.2851 हैक्टर कृषि भूमि किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि का बाई मिट्स बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक / राजस्व / 2024 / 01 दिनांक 01.01.2024 के जरिये आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया सा0मि0 है।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

स्वीकारोक्ति / सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग-अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग-अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा धीनावास तहसील सोजत में खसरा नम्बर 1694 रकबा 1.2851 हैक्टर कृषि भूमि किस्म बारानी दोयम की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	खेताराम दत्तक पुत्र केसाराम कौम सिरवी राठौड सा.देह खातेदार	1964	1. 2468	बा0दो0	
	योग	1	1. 2468	बा0दो	
2.	मुकेश मेवाडा पुत्र बाबुलाल मेवाडा कौम कलाल सा0 रेन्दडी खातेदार	1694 / 3	0. 0383	बा0दो0	
	योग	1	0. 0383	बा0दो0	

प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे दखलअंदाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 01.01.2024 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान्)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 14/03/24 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान्)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

डिकी बमुकददमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या -- 12/2022

वादीगण

1. खेताराम दतक पुत्र केसाराम जाति सिरवी निवासी धीनावास तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मुकेश पुत्र बाबुलाल मेवाडा जाति कलाल निवासी रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राज0

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी एवं श्री नरेन्द्र वैन अधिवक्ता प्रति0 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा धीनावास तहसील सोजत में खसरा नम्बर 1694 रकबा 1.2851 हैक्टर हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	खेताराम दत्तक पुत्र केसाराम कौम सिरवी राठौड सा.देह खातेदार	1964	1. 2468	बा0दो0	
	योग	1	1. 2468	बा0दो	
2.	मुकेश मेवाडा पुत्र बाबुलाल मेवाडा कौम कलाल सा0 रेन्दडी खातेदार	1694/3	0. 0383	बा0दो0	
	योग	1	0. 0383	बा0दो0	

प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे दखलअंदाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 01.01.2024 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14/3/24 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शू
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शू
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शू
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शू
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शू
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शू
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शू
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			